	25-8-2020	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी निकुंज पटेल पुत्र कांति भाई पटेल, उम्र 31 वर्ष, जाति– पटेल, निवासी– सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, नगर पालिका शॉपिंग काम्पलेक्स, माउन्ट आबू जिला– सिरोही उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 12.11.2019 को जिस पनीर का नमूना जांच के लिये लिया था वह मेरी फर्म अतिथी रेस्टोरेन्ट, माउन्ट आबू से लिया गया था एवं जो जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया।

.....लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:36:10 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.22/2020

वह मैनें उदयपुर की डेयरी से प्राप्त किया था अब मैनें उस डेयरी से पनीर लेना बंद कर दिया है एवं अमूल का पनीर उपयोग में लेना शुरु कर दिया है। मैनें नया–नया रेस्टोरेन्ट शुरु किया था और मुझे पनीर के क्वालिटी का मालूम नही था इसलिये मुझ से यह गलती हुई है। अतः मैं मेरा जुर्म गलती स्वीकार करता हूँ और भविष्य में ऐसी गलती नही करुंगा। कृपया मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी निकुंज पटेल द्वारा उक्तानुसार गलती / जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी निकुंज पटेल की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अपने उक्त अतिथि रेस्टोरेन्ट में आम जनता को पनीर की सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.11.2019 को उक्त रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूना जांच हेतु उक्त रेस्टोरेन्ट के अन्दर डीप फ्रिज में स्टील की ट्रे में रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 5 किलोग्राम में से 1 (एक) किलोग्राम पनीर को कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाई करते हुए खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रतिवादी ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी निकुंज पटेल ने अनुरोध किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ पनीर को उदयपुर की डेयरी से खरीदा था। मैनें नया–नया ही रेस्टोरेन्ट चालू किया था, मुझे पनीर की क्वालिटी की जानकारी नही थी। अब मैं अपने रेस्टोरेन्ट में आम जनता के लिये अमूल के पनीर का उपयोग करता हूँ, भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय नही करुंगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.11.2019 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु प्रतिवादी निकुंज पटेल पुत्र श्री क्रांति भाई पटेल, उम्र 31 वर्ष, जाति– पटेल, निवासी– सब्जी मंडी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही की फर्म अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, नगर पालिका शॉपिंग कॉम्पलेक्स, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। उक्त फर्म अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, नगर पालिका शॉपिंग कॉम्पलेक्स, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी निकुंज पटेल पुत्र श्री कांति भाई पटेल, निवासी– सब्जी मंडी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो रेस्टोरेन्ट में आम जनता को खाद्य पदार्थ पनीर की सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक होने का शक होने पर रेस्टोरेन्ट के अन्दर डिप फ्रिज में स्टील की ट्रे में रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 5 किलोग्राम में से 1 (एक) किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:36:10 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.22/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

अधिनियम, 2006 के तहत कीमतन नमूना जांच हेतु क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./983/Act/2019/1036 दिनांक 27.11.2019 के अनुसार अमानक (Sub-stansdard) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर में निर्धारित मानक Milk Fat content of The dry Matter की मात्रा न्यूनतम 50.0 प्रतिशत के स्थान पर 44.76 प्रतिशत पाई गई है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी निकुंज पटेल द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी निकुंज पटेल पुत्र श्री कांति भाई पटेल, जाति– पटेल, निवासी– सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, नगर पालिका शॉपिंग कॉम्पलेक्स, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 8,000/– (अक्षरे रुपये आठ हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी निकुंज पटेल पुत्र श्री कांति भाई पटेल, जाति– पटेल, निवासी– सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 11.9.2020 को पेश हो।

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:36:10 IST
Reason: SelfAttested